<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183/2013</u> संस्थित दिनांक 15.05.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बडवानी

–अभियोगी

वि रू द्व

- राजेन्द्र पिता कुंजीलाल यादव, आयु–38 वर्ष, पेशा–मजदूरी, निवासी–बरूफाटक, तह.ठीकरी, जिला बड़वानी (हा.मु.–म.नं.39, गायत्री नगर, आर.टी.ओ. रोड़, इंदौर)
- 2. फुलजीबाई पति कुंजीलाल यादव, आयु—70 वर्ष, पेशा—कुछ नहीं, निवासी—बरूफाटक, तह.ठीकरी, जिला बड़वानी
- मृत 3. कुंजीलाल पिता रामअवतार यादव, निवासी–बरूफाटक, तह.ठीकरी, जिला बडवानी

<u> –अभियुक्तगण</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता — श्री विशाल कर्मा

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 28—07—2016 को घोषित)

- 1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 66/2009 के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 10.04.2009 को सुबह 5 बजे बरूफाटक में कुंजीलाल के मकान के सामने रामपाल का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित कर, लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने और रामपाल तथा लक्ष्मीबाई को सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ठ से मारपीट कर स्वैच्छ्या उपहित कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के कारण भादिव की धारा 341, 294, 323/34, 506 (भाग—दो) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप लगाए गए हैं।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी, अभियुक्तों को जानते हैं, वे आपस में रिश्तेदार हैं तथा अभियुक्तों ने भी फरियादी पक्ष के विरूद्ध इसी दिनांक को रिपोर्ट दर्ज करायी है।

- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2009 को सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर थाना ठीकरी पर आकर फरियादी रामपाल यादव ने राजेन्द्र, कुंजीलाल और लक्ष्मीबाई के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह आज रात को अपने भाई बिंदादीन के घर सोया था, सुबह 5 बजे जगकर अपने घर जा रहा था और काका कुंजीलाल के घर के सामने पहुंचा कि काका कुंजीलाल व उनका लड़का राजेंद्र व काकी लक्ष्मीबाई तीनों ने उसका रास्ता रोककर घर नहीं जाने दिया और मां-बहन की अश्लील गालियां दी और कहा कि तूने भाई टाकुरलाल के कमरे में कब्जा कर रखा है और उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा है, फिर राजेंद्र घर से लट्ठ लेकर आया और उसके साथ मारपीट की, भाभी लक्ष्मीबाई ने बीच-बचाव करने आयी तो राजेन्द्र ने उसे भी लकडी से मारा, जिससे उसे दाहिनी आंख के उपर व नीचे तथा दाहिने हाथ की भुजा व कोहनी के नीचे व बांए हाथ में अंगुठे के पास वाली उंगली और दाहिने हाथ की उंगली में चोटें आईं, खून निकला तथा भाभी लक्ष्मीबाई को भी सिर में माथे के उपर सामने की ओर चोट आई, खून निकला, मौके पर ठाकुर काका व काकी कलाबाई आ गए थे, जिन्होंने घटना देखी तथा मारपीट के बाद राजेन्द्र ने धमकी दी कि अगर ठाकुर के कमरे में हिस्सा नहीं दिया तो वह जान से खतम कर देगा। इसके बाद भतीजे विकास को लेकर घटना की रिपोर्ट थाने पर आकर की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 66 / 2009 दर्ज कर विवेचना के दौरान आहत साक्षियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया।
- 4— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तों को भादिव की धारा 341, 294, 323 सहपिठत धारा 34, 506 (भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अपराध की विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तों ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। फरियादी पक्ष द्वारा उनके परिवारवालों के साथ मारपीट की गई थी, जिससे बचने के लिए असत्य रिपोर्ट उनके विरुद्ध की गई है तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया गया, किन्तु किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 5— यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त कुंजीलाल की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है तथा यह निर्णय शेष अभियुक्तों के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।
- 6— प्रकरण के युक्यिक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्तों ने घटना दिनांक 10.04.2009 को सुबह 5 बजे बरूफाटक में आरोपी कुंजीलाल के घर के सामने फरियादी रामपाल का रास्ता रोकर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?

क्र.	विचारणीय प्रश्न
ब	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तों ने फरियादी रामपाल को लोक स्थान पर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के लिए मां—बहन की अश्लील गालियां दीं ?
स	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त राजेन्द्र व लक्ष्मीबाई ने फरियादी रामपाल व उसकी भाभी लक्ष्मीबाई को स्वैच्छ्या उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अनुसरण में उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ठ से मारपीट कर स्वैच्छ्या उपहित कारित की ?
द	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त राजेन्द्र ने फरियादी रामपाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय प्रश्न कमांक 'अ' एवं 'स' पर सकारण निष्कर्ष -

7- प्रकरण की परिस्थितियों में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी रामपाल (अ.सा.-1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है। घटना 2–3 साल पहले की है, वह अपने भाई बिंदादीन के घर उसकी भाभी की तबीयत खराब होने से गया हुआ था, वहां से सुबह 5 बजे के लगभग वापस अपने घर आ रहा था, तब रास्ते में अभियुक्त कुंजीलाल और उसके लड़के राजेन्द्र ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे लट्ट से मारने दौड़े। अभियुक्तों ने उसके अंकल टाकुरलाल के मकान की बात को लेकर झगड़ा किया और उसके साथ लट्ट से मारपीट की, जिससे उसे सिर, हाथ व कान के पास चोटें आईं। बीच-बचाव करने उसके भाई का लड़का विशाल आया था और कोई नहीं आया तथा घटना के उपरांत वह थाने पर गया था जहां पर उसने प्रपी-1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात पुलिस ने उसे व उसकी भाभी को ईलाज के लिए अस्पताल भेजा था। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पुछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी-1 की रिपोर्ट लिखाते समय अभियुक्तों द्वारा रास्ता रोकने की बात बतायी थी। साक्षी ने कूट परीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया है कि राजेन्द्र अपने घर से दौड़कर लट्ट लेकर आया था और उसके साथ मारपीट करने लगा, तब उसकी भाभी लक्ष्मीबाई बीच–बचाव करने आयी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजेन्द्र ने लक्ष्मीबाई के साथ भी लकड़ी से मारपीट की, जिसमें लक्ष्मीबाई को दाहिनी आंख के उपर व नीचे तथा दाहिने हाथ की भूजा व कोहनी के नीचे तथा अंगूठे के पास वाली उंगली में चोटें आईं थीं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि लक्ष्मीबाई को सिर में माथे के उपर चोट लगी थी। साक्षी ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि उसने उक्त बातें प्रपी–1 की रिपोर्ट व प्रपी–2 के पुलिस कथन लिखाते समय पुलिस को बतायी थीं।

- बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फूलजीबाई की उम्र लगभग 65 वर्ष होगी और मकान तथा खेत की जमीनें अभियुक्त कुंजीलाल, उसके पिता जगन्नाथ और टाकुरलाल के नाम चढ़ी हुईं थीं, लेकिन इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि कुंजीलाल के हिस्से के मकान पर उनका कब्जा है तथा इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि इसी कारण से उनका अभियुक्तों से विवाद है। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेन्द्र इंदौर में रहता है और वहीं पर काम करता है। साक्षी का यह भी कहना है कि बिंदादीन उसका भाई और विशाल उसका भतीजा है, लेकिन बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने, उसकी मां और पिताजी ने अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी तथा उसे नहीं मालूम कि राजेन्द्र को सिर, हाथ, अंगुलियों व पीठ में चोटें आईं थीं, लेकिन साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र ने फरियादी पक्ष के विरूद्ध भी रिपोर्ट की थी, जिसका आपराधिक प्रकरण चल रहा है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय कोई बीच-बचाव करने नहीं आया था, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के बाद राजेन्द्र को करीब एक महीने तक हाथ में प्लास्टर लगा था अथवा उन्होंने अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उन्होंने अभियुक्तों के साथ मारपीट की अथवा उन्होंने झूठी रिपोर्ट की है।
- 10— अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई यादव (अ.सा.—4) का कथन है कि लगभग 4—5 वर्ष पूर्व सुबह 6 बजे अभियुक्त राजेन्द्र ने लकड़ी से उसके पित बिंदादीन, देवर रामपाल और उसके साथ मारपीट की थी। राजेन्द्र ने लकड़ी मारी, जो उसे सिर पर लगी थी तथा उसे चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसके देवर रामपाल ने की थी तथा पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गांव में छोटे से विवाद में कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन साक्षी ने उनके इस सुझाव से इन्कार किया है कि कुंजीलाल के मकान में रामपाल का कब्जा है और इसी बात को लेकर उनका अभियुक्तों से विवाद चल रहा है। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फुलजीबाई की उम्र लगभग 65 वर्ष है और उसने कोई विवाद नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्होंने कुंजीलाल, फुलजीबाई और राजेन्द्र के साथ हाथ—मुक्कों से घटना दिनांक को मारपीट की थी तथा इस सुझाव से भी साक्षी ने इन्कार किया है कि आपसी विवाद के कारण उन्होंने असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है।
- 11— अभियोजन साक्षी विशाल यादव (अ.सा.—5) का कथन है कि 3—4 वर्ष पूर्व सुबह 4 बजे अभियुक्त राजेन्द्र ने उसकी मां लक्ष्मीबाई के सिर में लट्ड मार दिया था, जिससे उसकी मां के सिर में चोट आई थी और रामपाल के साथ भी मारपीट की, उसने बीच—बचाव किया था। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बिंदादीन उसके पिताजी हैं, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि ठाकुरलाल के मकान में रामपाल का कब्जा है। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि वह मकान कुंजीलाल के हिस्से में आया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजेन्द्र इंदौर में रहकर कार्य करता है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि राजेन्द्र का उस विवाद

में हाथ टूट गया था, जिससे उसके हाथ में पट्टा चढ़ा था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि राजेन्द्र ने उसके, रामपाल, लक्ष्मीबाई व उसके पिता बिंदादीन के विरूद्ध रिपोर्ट की थी, जिसमें उनकी जमानत हुई थी, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि इस कारण वह अभियुक्तों के विरूद्ध असत्य कथन कर रहा है।

- 12— उप निरीक्षक व्ही.एस.कुशवाह (अ.सा.—3) का कथन है कि दिनांक 10.04.2009 को उसके थाना ठीकरी पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते, फरियादी रामपाल ने अभियुक्त राजेन्द्र, कुंजीलाल व फुलजीबाई के विरूद्ध गाली—गलौच करने, रास्ता रोकने, मारपीट करने व जान से मारनेकी धमकी देने की रिपोर्ट लिखाने पर उसके द्वारा थाने के अपराध कमांक 66/2009 में प्रपी—1 की रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात लक्ष्मीबाई, रामपाल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त रामपाल, लक्ष्मीबाई, बिंदादीन और विशाल के विरूद्ध भी अपराध कमांक 67/2009 प्र.डी—1 का दर्ज किया है, जिसमें कुंजीलाल, फुलजीबाई और राजेन्द्र को आयी चोटों के लिए उसी दिनांक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था, जिसके आवेदन पत्र प्र.डी—2 लगायत 4 हैं।
- अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक कमलसिंह दवाने (अ.सा.--६) का कथन है कि दिनांक 10.04.2009 को थाना ठीकरी पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते थाने के अपराध क्रमांक 66 / 2009 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी–7 का टाक्र के बताए अनुसार बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी तथा साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये, आरोपी राजेन्द्र के पेश करने पर उसके कब्जे से एक आङ्जात की लकड़ी लम्बाई लगभग 4.5 फीट प्रपी–8 के अनुसार जप्त की। उसने अभियुक्तों को गिरफतार किया और आहत रामपाल, लक्ष्मीबाई की एक्स-रे रिपोर्ट जिला चिकित्सालय बडवानी से प्राप्त होने पर प्रकरण में संलग्न की थी। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राजेन्द्र ने भी घटना दिनांक को ही रामपाल, लक्ष्मीबाई, बिंदा, विशाल के विरूद्ध रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उस अपराध की विवेचना भी उसके द्वारा की गयी है, लेकिन साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सझाव से इन्कार किया हैं कि फरियादी के विरूद्ध लिखी गयी रिपोर्ट से बचने के लिये राजेन्द्र ने असत्य रिपोर्ट लिखायी थी अथवा उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।
- 14— डॉ. रणजीतिसंह मुजाल्दा (अ.सा.—2) का कथन है कि थाना ठीकरी से आरक्षक संजय द्वारा लाए जाने पर दिनांक 10.04.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आहत लक्ष्मीबाई पित बिंदादीन, निवासी बरूफाटक को मेडिकल परीक्षण करने पर उसे सिर पर दाहिनी आंख के उपर एक कटा—फटा घाव, जिसका आकार 1/2 गुणा 1 इंच, हड्डी की गहराई तक पाये थे, जो कि संख्या में दो थे, उक्त चोट किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण के 1 से 3

घण्टे के भीतर की थीं तथा उसके द्वारा आहत के घाव की प्रकृति जानने हेतु एक्स-रे हेतू जिला अस्पताल बडवानी भेजा था। साक्षी ने उक्त आहत के संबंध में दी गई परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रपी-3 को भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उक्त दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लाये जाने पर आहत रामपाल पिता जगन्नाथ, आयु ४० वर्ष, निवासी बरूफाटक का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत को सिर पर दाहिनी आंख के उपर एक कटा-फटा घाव, जिसका आकार 1 गुणा 1/2 इंच, चमडी की गहराई तक तथा दाहिनी हाथ की अंगुली पर भी कटा-फटा घाव, जिसका आकार 1/2 गुणा 1/2 इंच, चमड़ी की गहराई तक तथा दाहिने कंधे पर दो रगड़ के निशान, आकार आधा गुणा तीन इंच, चमड़ी की गहराई तक, दाहिने हाथ पर एक रगड़ का निशान, आकार आधा गुणा दो इंच का पाय था। उक्त चोटें किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण के 1 से 2 घण्टे के भीतर की थीं, जिनमें से चोट क्रमांक 2,4 व 5 साधारण प्रकृति की तथा चोट कमांक 1 व 3 की प्रकृति जानने हेतु साक्षी द्वारा आहत को एक्स-रे हेतु बडवानी भेजा गया था। साक्षीँ ने इस संबंध में दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-4 को भी प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि आहतगण की एक्स-रे प्लेटस का परीक्षण करने पर उन्हें कोई भी अस्थिभंग नहीं होना पाया था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहतगण को आई जैसी चोटें, गिरने से आना सम्भव हैं।

- 15— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण और फरियादी पक्ष के मध्य मकान के कब्जे को लेकर विवाद पूर्व से है। अभियुक्तों के साथ फरियादी पक्ष के द्वारा पहले मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने पर अभियुक्त राजेन्द्र ने की है और उससे बचने के लिए फरियादी पक्ष ने यह असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है। अभियुक्तों और फरियादी पक्ष निकट के रिश्तेदार हैं और इनके अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है।
- 16— यह सही है कि अभियुक्त और फरियादी पक्ष रिश्तेदार हैं और उनके मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में फरियादी पक्ष, रामपाल, बिंदादीन, लक्ष्मीबाई और विशाल यादव के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण इसी न्यायालय में लिम्बत है, जिसका निर्णय आज घोषित किया जा रहा है, लेकिन उक्त दोनों ही आपराधिक प्रकरण काउंटर प्रकरण नहीं हैं, क्योंकि घटना का समय और घटनास्थल पृथक—पृथक हैं। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्तों ने अपने बचाव में उक्त घटना कारित की है।
- 17— विशाल यादव (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि राजेन्द्र का उक्त विवाद में हाथ टूट गया था, लेकिन मात्र पारिवारिक रंजिश होने के आधार पर अथवा प्रकरण में आरोपी पक्ष द्वारा फरियादी पक्ष के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाये जाने के आधार पर उक्त सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संशास्पद नहीं हो जाता है। आरोपी राजेन्द्र द्वारा रामपाल (अ.सा.—1) और लक्ष्मीबाई (अ.सा.—4) के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ठ से मारपीट किये जाने के संबंध में अभियोजन

साक्षीगण के कथन परस्पर पुष्टिकारक हैं, उसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है और घटना के तत्काल बाद फरियादी रामपाल ने घटना की रिपोर्ट प्रपी—1 की थाने पर की है, जहां से आहतगण को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था और डॉ. रणजीतिसिंह मुजाल्दा (अ.सा.—2) ने आहत साक्षियों का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें साधारण चोटें, परीक्षण के 1 से 3 घण्टे के भीतर आना पाया है, जो कि सख्त एवं बोथरी वस्तु से पहुंचाई गई थी। जहां तक, घटना के समय कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं होने का प्रश्न है, वहां घटना सुबह लगभग 5 बजे की है, तब ऐसी स्थिति में घटना के समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी का उपस्थित नहीं होना स्वाभाविक है, जिसका अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

- 18— इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त राजेन्द्र ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामपाल (अ.सा.—1) तथा आहत लक्ष्मीबाई (अ.सा.—2) को सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ट से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छ्या उपहित कारित की, जो कि भादिव की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः यह न्यायालय आरोपी राजेन्द्र पिता कुंजीलाल यादव, आयु 38 वर्ष, निवासी बरूफाटक को भादिव की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 2 बार दोषसिद्ध करता है।
- 19— जहां तक, भादवि की धारा 341 का प्रश्न है, वहां किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा साक्षियों का रास्ता रोककर बलपूर्वक सदोष अवरोध कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में भादवि की धारा 341 का अपराध अभियुक्तों के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः भादवि की धारा 341 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से अभियुक्तों को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 20— जहां तक, अभियुक्त फुलजीबाई द्वारा आहत साक्षियों के साथ किए गए धारा 323 भादिव के अपराध का प्रश्न है, वहां किसी भी अभियोजन साक्षी ने स्पष्ट कथन नहीं किया है कि फुलजीबाई ने भी उनके साथ मारपीट की थी। फिरयादी रामपाल (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त राजेन्द्र और उसके मृत् पिता कुंजीलाल द्वारा उनके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किए हैं तथा आहत लक्ष्मीबाई (अ.सा.—4) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फुलजीबाई गवाह थी, उसने कोई विवाद नहीं किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त फुलजीबाई पित कुंजीलाल यादव, आयु 70 वर्ष, निवासी बरूफाटक के विरुद्ध भादिव की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धारा के अपराध से भी अभियुक्त फुलजीबाई को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 'ब' एवं 'द' पर सकारण निष्कर्ष —

21— प्रकरण की परिस्थितियों में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

- 22— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी रामपाल (अ.सा.—1) का कथन है कि अभियुक्त उसे मां—बहन की गालियां दे रहे थे। उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे कौनसी गालियां दी गईं अथवा गालियां देकर उसे क्षोभ कारित हुआ। किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गईं गालियां सुनने में बुरी लगीं और ना ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र ने रामपाल को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां—बहन की अश्लील गालियां लोक स्थान पर दी गई हों अथवा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो। अतः अभियुक्तों को भादिव की धारा 294 एवं 506 (भाग—दो) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 23- अभियुक्त फुलजीबाई के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 24— चूंकि अभियुक्त राजेन्द्र पिता कुंजीलाल यादव को भादवि की धारा 323 (दो बार) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया गया है और अभियुक्त ने जिस तरह से सम्पत्ति के विवाद को लेकर अपने निकटतम रिश्तेदारों से मारपीट की है, उसे देखते हुए अभियुक्त राजेन्द्र को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय का आलेखन थोड़ी देर के लिये स्थिगत किया गया।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च -

- 25— सजा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल कर्मा का निवेदन है कि आरोपी घटना के समय उसकी आयु कम थी तथा वर्तमान उसके पिता की मृत्यु हो जाने से भी परिवार का पालन—पोषण व वृद्ध मां की देखभाल उसे ही करना है और वह लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा फरियादी पक्ष द्वारा की गई मारपीट में उसे गम्भीर चोटें कारित हुईं और बचाव में स्वयं अभियुक्त से उक्त अपराध घटित हुआ है। अतः सद्भावनापूर्वक विचार किया जावे।
- 26— यह सही है कि अभियुक्त पर ही उसके शेष परिवार की जिम्मेदारी है तथा यह नियमित रूप से लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा अपराध की प्रकृति और घटना के समय आरोपी की आयु तथा समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उसे कारावास के दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत

// 9 // आप.प्रक.कमांक 183/2009

नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी राजेन्द्र पिता कुंजीलाल यादव, आयु 38 वर्ष, निवासी बरूफाटक को भादिव की धारा 323 (2 बार) के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से दिण्डत करता है तथा दंप्रसं की धारा 357(3) के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी राजेन्द्र प्रतिकर स्वरूप आहत रामपाल व लक्ष्मीबाई को रूपये 500—500/— अदा करे। प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को पृथक से 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 27- अभियुक्त राजेन्द्र के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 28- दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत निरोध प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 29— प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी मूल्यहीन होने से, अपील अवधि उपरांत अपील न होने पर नियमानुसार नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / –
(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड जिला बडवानी, म.प्र.

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain